

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, इलाहाबाद

पत्र संख्या : 3279 / 15117

दिनांक : 25/7/2017

सेवा में

✓ प्रबन्धक(निर्माण)

पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लि०
छठां तल, इन्दिरा भवन, सिविल लाइन्स
इलाहाबाद

विषय :- निर्माणाधीन 400KV सिंगरौली-इलाहाबाद विधुत पारेषण द्वारा
भारतगंज-प्रतापपुर मार्ग के ओवर क्रॉसिंग के अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :- आपका पत्रांक उ०क्षे०-3/इला०/निर्माण/लो.नि.वि./अना./464 दिनांक
29.06.2017

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के क्रम में 400KV के सिंगरौली-इलाहाबाद-विधुत पारेषण
लाइन भारतगंज-प्रतापपुर मार्ग(राज्य मार्ग सं०-102) के कि०मी० 69 में ओवर हेड क्रॉसिंग हेतु
अनुमति का आवेदन दिया है, को निम्न शर्तों के अधीन अनुमति प्रदान की जाती है।

1. यह कि रोड के ऊपरी सतह एवं निचले विधुत चालक तार के बीच न्यूनतम ग्राउन्ड
क्लीयरेंस 15.60मी० रखी जानी होगी।
2. यह कि मार्ग के दोनों तरफ के टावर मार्ग के मध्य बिन्दु से कम से कम 120 मी० दूर पर
स्थापित होंगे।
3. यह कि विधुत तार के कारण मार्ग पर यातायात सुरक्षित रहे तथा भविष्य में यदि कोई इस
कारण से दुर्घटना घटती है तो इसकी जिम्मेदारी पावर ग्रिड कारपोरेशन की होगी।
4. तार को लगाने एवं मरम्मत के दौरान रोड पर सुरक्षित यातायात उपलब्ध कराने की
जिम्मेदारी पावर ग्रिड कारपोरेशन की होगी।
5. यह कि यदि भविष्य में मार्ग का चौड़ीकरण/विस्तार होने पर पावर ग्रिड कारपोरेशन अपने
टावर को स्वयं के खर्चे पर हटायेगा।

पत्र संख्या :

प्रतिलिपि :-

1. सहायक अभियन्ता(चतुर्थ), प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, इलाहाबाद को सूचनार्थ प्रेषित।

2- स्वकीय J.E.(C) को रिकार्ड हेतु।

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०
इलाहाबाद
दिनांक :/...../2017

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
इलाहाबाद